संख्या-14/2018/ 863जेड/6-सा-3-2018-50जी/17टीसी

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2018**

विषय: आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में की गयी यात्रा से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में की गयी नि:शुल्क यात्रा से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि **रू0 4,00,00,000/-** (रू0 चार करोड मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तद्नुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाले मदवार व्यय की सूचना नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भेजते हुए एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

5- आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्वय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "3055-सड़क परिवहन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-04-आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:14/2018/ 863(1)जेड/6-सा-3--2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4-मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-12 उ0प्र0 शासन।

7-आहरण एवं वितरण अधिकारी।

8-अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।

9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in